


कार्यालय जिला पंचायत, लखनऊ

पत्रांक 27 / नक्शा / नि0वि0 / जि0पं0 / 2012-2013

दिनांक 06 जुलाई 2012

श्री सियाराम
निर्माण स्थल- ग्राम अनौरा
विकास खण्ड सरोजनीनगर
जनपद- लखनऊ



आपके प्रार्थना पत्र के साथ संलग्न मानचित्र पर समयक विचारोपरान्त मानचित्र की स्वीकृति प्रदान की गयी है।

ग्राम अनौरा विकास खण्ड चिनहट जनपद लखनऊ में अपार्टमेंट भवन निर्माण कार्य हेतु प्रस्तुत मानचित्र खसरा संख्या 333 में कुल आच्छादित क्षेत्रफल 21859.60 वर्गमीटर में भवन निर्माण कार्य कराये जाने हेतु समझौता शुल्क जमा कराते हुए मानचित्र की स्वीकृति निम्न प्रतिबन्धों सहित दी जाती है।

- 1-प्रस्तावित अपार्टमेंट भवन का निर्माण प्रारम्भ करते समय तथा निर्माणाधीन अवधि में कोई भी निर्माण सामग्री मार्ग पर एकत्र न की जाये।
- 2-जल-मल की निकासी मार्ग की ओर न की जाये।
- 3-मुख्य मार्ग के मध्य से बिन्दु से निर्माण स्थल की प्रतिबधित दूरी के सम्बन्ध में रोड साइड लैण्ड कन्ट्रोल रूल्स 1964 के नियम-7 यथावत् लागू रहेगें।
- 4-प्रतिबन्ध रहेगा कि अपार्टमेंट भवन का निर्माण कार्य कुल कवर्ड एरियां 21859.60 वर्गमीटर में ही कराया जाये।
- 5-प्रतिबन्ध रहेगा कि कार्यालय मुख्य अग्नि शमन अधिकारी के पत्र संख्या पं-1759/एफएस-12 दिनांक 06 जुलाई 2012 अनुसार कार्यवाही करें।
- 6-प्रतिबन्ध रहेगा कि कार्य पूर्ण होने के उपरान्त कार्य पूर्ण प्रमाण पत्र कार्यालय जिला पंचायत, लखनऊ से प्राप्त किया जाना अनिवार्य होगा।

बिना किसी पूर्व सूचना के नक्शों/भवन में किसी भी प्रकार का परिवर्धन/परिवर्तन नहीं किया जायेगा। यदि किसी भी प्रकार का परिवर्तन/परिवर्धन भवन/मानचित्र में प्रस्तावित है, तो जिला पंचायत लखनऊ से स्वीकार किये बिना परिवर्तन/परिवर्धन नहीं किया जायेगा। किसी भी प्रकार का विवाद होने की स्थिति में जिला पंचायत, लखनऊ उत्तरदायी नहीं होगी।

अनुमोदित मानचित्र किसी भी दशा में स्वामित्व का अभिलेख नहीं माना जायेगा।

अपर मुख्य अधिकारी
जिला पंचायत, लखनऊ
जिला पंचायत, लखनऊ